न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. अटल सेवा केन्द्र रामपुरा

रा.प्रा.पत्र संख्या 197 / 2017

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री भबूतसिंह परमार
जाति राजपूत निवासी टांकरिया
तहसील व जिला सिरोही

स्टेट जरिये तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–
अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

निर्णय — दिनांक 25–6–2018

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही का बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 15–12–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 566 रकबा .01 क्षैत्रफल 0.3000 हैक्टेयर किस्म बंजर व आबादी की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17–4–2013 के मधु गोस्वामी पत्नि महेन्द्र गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी मोचीवाडा सिरोही से प्रार्थी ने खरीद की है जिससे उक्त कृषि भूखण्ड का प्रार्थी बतौर खातेदार स्वामी है। प्रार्थी खसरा संख्या 567 के कृषि भूखण्ड पर बतौर खातेदार काबिज हे जबकि सेटलमेण्ट के दौरान प्रार्थी को राजस्व नक्शे मे राजस्व अधिकारियों ने खसरा संख्या 566 मे काबिज दर्शाया है। जिसे प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये अपने उक्त कृषि भूखण्ड को राजस्व नक्शे मे संशोधन के द्वारा मोके अनुसार काबिज दर्शाना चाहता है। सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की भूल एवं त्रुटी से राजस्व रेकर्ड/नक्शे मे उपरोक्त वर्णित कृषि भूखण को मोके अनुसार खसरा संख्या 566 की जगह खसरा संख्या 567 मे राजस्व नक्शे मे नही दर्शाने के कारण तथा अकारण ही उक्त कृषि भूखण्ड के नामान्तकरण मे समस्या आने के कारण प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं खातेदारी हक की शंका हो रही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 566 रकबा 01 मेसे क्षैत्रफल 166.67 वर्गगज अर्थात 1050 वर्गफीट के कृषि भूखण्ड की प्रार्थी के मोके पर काबिज अनुसार खसरा संख्या 566 से खसरा संख्या 567 मे प्रार्थी को दर्षाते हुये प्रार्थी को मोके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे मे संशोधन करवाने का आदेष प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता नंबर 94 नया खसरा नंबर 566 रकबा 0.3000 हेक्टेयर विक्रय विलेख दिनांक 17–4–2013 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 15–12–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

आज दिनांक 25–6–2018 को को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रार्थी को जारी नोटिस प्राप्त नही लेकिन दौराने सुनवाई अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने हाजिर होकर विचारण प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।तहसीलदार/सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्राथी सुरेन्द्रसिंह पुत्र भबूतसिंह परमार जाति राजपूत साकिन देवनगरी टांकरिया सिरोही द्वारा ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा के खसरा संख्या 566 के कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि के संयुक्त खातेदार कृषक मधू गोस्वामी पत्नि महेन्द्र गोस्वामी जाति गोस्वामी सा. मोचीवाडा सिरोही के हिस्से की संयुक्त कृषि भूमि रकबा 0.0139 हैक्टेयर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2013001734 दिनांक 17–4–2013 के खरीद की हुई है। मौका कब्जा स्थिती अनुसार बेचानकत्र श्रीमति मधु गोस्वामी पत्नि महेन्द्र गोस्वामी द्वारा बेचान की गई भूमि का जो मौका बताया गया वह राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 566 का भाग नही होकर खसरा नंबर 567 मे स्थित है। राजस्व रेकर्ड अनुसार श्रीमति मधु गोस्वामी द्वारा जो भूमि बेचान की गई है वह खसरा नंबर 566 मे की गई है। राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 567 रकबा 0.5241 किस्म गै.मु. आबादी 0.0072 व बंजर 0.5163 हैक्टेयर है। उक्त भूमि दलपतसिंह वगैरहा अन्य खातेदार के नाम से दर्ज है। खसरा नंबर 567 मे मकान व प्लाट बने हुये है। श्रीमति मधू गोस्वामी द्वारा अपना कब्जा मोका बताया है वह राजस्व रेकर्ड अनुसार 566 मे नही होकर 567 मे है । मोके पर कब्जा भूमि पर नींव भरी जाकर कुर्सी लेवल तक दीवार बनाई हुई है।

विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील को केम्प कोर्ट की सूचना होने के बावजूद हाजिर नही होने से अप्रार्थी तहसीलदार/सिरोही की एक पक्षीय बहस गंभीरता से सुनकर उस पर मनन किया । प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट व जवाब अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही तथा पत्रावली के संलग्न उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खाता नंबर 94 नया खसरा नंबर 566 रकबा 0.3000 हेक्टेयर विक्रय विलेख दिनांक 17–4–2013 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्राथी सुरेन्द्रसिंह पुत्र भबूतसिंह परमार जाति राजपूत साकिन देवनगरी टांकरिया सिरोही द्वारा ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा के खसरा संख्या 566 के कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि के संयुक्त खातेदार कृषक मधू गोस्वामी पत्नि महेन्द्र गोस्वामी जाति गोस्वामी सा. मोचीवाडा सिरोही के हिस्से की संयुक्त कृषि भूमि रकबा 0.0139 हैक्टेयर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2013001734 दिनांक 17–4–2013 के खरीद की हुई है। मौका कब्जा स्थिती अनुसार बेचानकत्र श्रीमति मधु गोस्वामी पत्नि महेन्द्र गोस्वामी द्वारा बेचान की गई भूमि का जो मौका बताया गया वह राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 566 का भाग नही होकर खसरा नंबर 567 मे स्थित है। राजस्व रेकर्ड अनुसार श्रीमति मधु गोस्वामी द्वारा जो भूमि बेचान की गई है वह खसरा नंबर 566 मे की गई है। राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 567 रकबा 0.5241 किस्म गै.मु. आबादी 0.0072 व बंजर 0.5163 हैक्टेयर है। उक्त भूमि दलपतसिंह वगैरहा अन्य खातेदार के नाम से दर्ज है। खसरा नंबर 567 मे मकान व प्लाट बने हुये है। श्रीमति मधू गोस्वामी द्वारा अपना कब्जा मोका बताया है वह राजस्व रेकर्ड अनुसार 566 मे नही होकर 567 मे है । मोके पर कब्जा भूमि पर नींव भरी जाकर कुर्सी लेवल तक दीवार बनाई हुई है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट के तहत लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे नही आने से परिपोषणीय नही होने व सारहीन व तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता है। निर्णय रा.लो.अ.केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

25/6/18
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

25/6/18
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)